आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान

पुलिस विज्ञान

वर्ष-39 अंक 142 जनवरी-जून, 2020

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

लोकतंत्र, सामुदायिकता एवं पुलिस

डॉ. गिरिराज सिंह चौहान,
'रीना माली'

लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं लोकतांत्रिक सरकारों का विस्तार आज लगभग संपूर्ण विश्व में है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इसका विस्तार ज्यादा हुआ है। लोकतंत्र मुख्य रूप से सहभागिता, नागरिक अधिकारों की स्थापना एवं समता के मूल्यों से स्थापित होता है। चुनावों द्वारा सरकारें चुनना उसका एक मुख्य लक्षण है, परंतु वही एक मात्र लक्षण नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में सरकारी संस्थाओं का कुछ हद तक तो लोकतांत्रिकरण हुआ है। लोकतंत्र किस हद तक समाजों में गहरी पहुंच कर पाया है अगर उसका मापन किया जाए तो कुछ राष्ट्रों में यह ज्यादा है और कुछ राष्ट्रों में कम। साथ ही सार्वजनिक संस्थाएं किस हद तक लोकतांत्रिक मूल्य का पालन कर रही हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन समाजों का कितना लोकतांत्रिकरण हुआ है। लंदन स्थित इकोनामिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट प्रतिवर्ष एक वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक जारी करती है। सन 2019 के लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत का स्थान प्रथम 10 में नहीं है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रथम दस में नहीं है। हम से ऊपर उरूग्वे, चिली, इजराइल, मलेशिया, अर्जेंटीना तथा जमैका जैसे राष्ट्र हैं। चुनावी राजनीति के हिसाब से तो भारत में लोकतंत्र नया होते हुए भी अपनी गहरी जड़ें जमा पाया है, परंतु सरकारी संस्थाओं का कितना लोकतांत्रिकरण हुआ है यह शोध एवं चिंतन का विषय है। लोकतंत्र को गहरा करने की अपेक्षित अनेक संस्थाओं में से एक भारतीय पुलिस भी है। भारतीय पुलिस, भारतीय राष्ट्र के लोकतांत्रिक होने से पहले भारत में मौजूद थी। औपचारिक रूप से यह 1861 के पुलिस अधिनियम से संचालित होती है। हालांकि भारत में पुलिस शासन व्यवस्था जैसी प्रणाली वैदिक काल, मौर्य काल तथा मुगल काल में भी विद्यमान रही। साथ ही अंग्रेजी शासन के समय ब्रिटिश इंडिया तथा देसी रियासतों की अपनी-अपनी पुलिस व्यवस्था भी थी। कुछ लेखको जैसे चाणक्य, मेगस्थनीज आदि के ग्रंथों में भी पुलिस व्यवस्था का वर्णन मिलता है। जैसा कि पहले बताया गया कि भारत के आजाद होने से पहले भारतीय पुलिस विद्यमान थी परंतु उसका स्वरूप एक अधिनायकवादी तथा गैर लोकतांत्रिक था। आजादी के बाद पुलिस सुधार तथा उसे जवाबदेह बनाने के बहुत सारे प्रयास हुए परंतु उसका स्वरूप, अभिवृत्ति तथा व्यवहार नहीं बदला। लोकतांत्रिक पुलिस क्या हो उसकी परिभाषा करना बहुत कठिन है उसकी बजाए सरलता इस बात में ज्यादा है कि गैर लोकतांत्रिक पुलिस क्या है। लोकतंत्र इस बात की अपेक्षा करता है कि कानून के समक्ष समानता होगी और राजनीतिक बहुलतावाद होगा। जैसा ऊपर बताया गया की भारत जैसे देश में चुनावी लोकतंत्र तो बहुत अच्छे से स्थापित हो गया है। इस चुनावी लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, 1. एक प्रतिस्पर्धी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था 2. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 3. निश्चित अंतराल पर चुनाव जो कि निष्पक्ष होते हैं तथा किसी प्रकार की धांधली नहीं होना। 4. मीडिया तथा चुनाव प्रचार के द्वारा जनता की राजनीतिक दलों तक पहुंच। इन सब मायनों में भारत में एक बेहतर चुनावी लोकतंत्र स्थापित हुआ है परंतु अब समय चुनावी लोकतंत्र से आगे निकलने का है और लोकतंत्र की जड़ें और

मजबूत और गहरी करने का है। क्योंकि कई पर्यवेक्षकों का यह मानना है कि लोकतंत्र वास्तविक रूप में चुनावी लोकतंत्र से आगे का कदम है जिसमें राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ नागरिक अधिकारों की स्थापना तथा उनकी रक्षा एवं उनका उन्नयन शामिल है। साथ ही जनता तक संपूर्ण सार्वजनिक संस्थाओं कि पहुंच समान एवं पारदर्शी तरीके से हो। भारतीय पुलिस जिसका अपना एक औपनिवेशिक चरित्र एवं विरासत रही हो उसे लोकतंत्र के इन मायनों के अनुसार ढलना जरूरी है। क्योंकि पुलिस भी लोकतंत्र के उन आधारभूत संस्थाओं में से एक है जो लोकतंत्र एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा, उन्नयन एवं स्थापना में मदद करती है। और उसका लोकतांत्रिकरण सही मायनों में तभी होगा जब जनता का उसमें विश्वास हो तथा वह उसके साथ लगातार संपर्क बनाए रखें और जनता की उस तक सरल, सुगम एवं भय रहित पहुंच हो।

सामुदायिकता एवं पुलिस

वर्तमान समय में जब पूरा देश कोविड 19 नामक एक महामारी से जूझ रहा है। हम आधुनिक समय में महामारियो का इतिहास देखें या आपदाओं का इतिहास देखें तो हम पाते हैं कि संकट या आपदा काल में पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस लोकतंत्र की रक्षा करती है। कोविड-19 के समय में पुलिस द्वारा जनता पर लाठीचार्ज, जनता को पीटना, जनता के साथ अभद्र व्यवहार करने जैसी कई छोटी घटनाएं देखने को मिली। उक्त समय में ऐसी छोटी घटनाएं भी जनता एवं पुलिस के बीच अविश्वास की खाई और गहरी करने वाली थी। कई जगह पुलिस ने बहुत प्रशंसनीय कार्य भी किया तथा जनता की प्रशंसा भी अर्जित की एवं जनता का पुलिस पर विश्वास भी बढ़ा है। परंतु संकट की इस घड़ी में समुदायों को साथ लेकर तथा समुदायों का विश्वास अर्जित कर संकट का बेहतर तरीके से सामना किया जा सकता है और साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा की जा सकती है। किसी भी विपदा के समय समुदायों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि समुदाय सरकारों की मदद कर सकते हैं, जो लोग संकट में हैं उसकी पहचान कर सकते हैं, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं, आवश्यक सूचना पहुंचा सकते हैं, साथ ही उन लोगों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जो इस विपदा के कारण संकट में आए हैं। सरकारें वॉलिंटियर्स या स्वयंसेवकों के रूप में जनता की मदद ले सकती हैं। नागरिक आपदाओं के प्रबंधन में, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में, यातायात संचालन में, जागरूकता फैलाने में सरकार एवं पुलिस की मदद कर सकते हैं। क्योंकि सहभागिता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। परंतु यह तभी स्थापित हो पाएगा जब जनता, समुदायों एवं पुलिस एवं सरकारों के बीच एक विश्वास की स्थिति उत्पन्न हो। सामुदायिक पुलिस पद्धति पुलिस और लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक विकल्प हो सकती है। सामुदायिक पुलिस पद्धति की परिभाषा इस प्रकार की गई है, 'सामयिक सामुदायिक पुलिस पद्धति अपराध की रोकथाम और पता लगाने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय विवादों का निपटान करने के लिए समुदाय के साथ कार्य करने की एक क्षेत्र विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें कि बेहतर जीवन और सुरक्षा की भावना की जा सके।' डेविड एच बेली के अनुसार सामुदायिक पुलिस पद्धति के चार घटक हैं, 1. समुदाय आधारित अपराध रोकथाम। 2. जनता के साथ आपात स्थिति भिन्न अन्योन्य क्रिया हेतु पेट्रोल तैनाती। 3. सेवा के लिए अनुरोधों की सक्रियतापूर्वक चाहत जिसमें अपराध संबंधी मामले सम्मिलित ना हो। 4. समुदाय से आधारभूत फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए पद्धतियां कायम करना। यह शांति काल और संकटकाल या आपतकाल दोनों में ही लागू किया

जा सकता है। सामुदायिक पुलिस पद्धति में अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांत है कि पुलिसकर्मी वर्दी में एक नागरिक है तथा नागरिक बिना वर्दी वाला पुलिस कर्मी है। सामुदायिक पुलिस एक बहु प्रचलित शब्द बन गया है परंतु इसमें नया कुछ नहीं है। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को ऐसा परिवेश कायम करने में शामिल करना है जिससे सामुदायिक सुरक्षा और बचाव में वृद्धि हो। सामुदायिक पुलिस पद्धति एक दर्शन है जिसके अंतर्गत पुलिस और नागरिक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने और अपराध को नियंत्रित करने में भागीदारों के रूप में कार्य करें। इसके अंतर्गत दोनों के बीच निकट रूप से कार्य करना शामिल है जिसमें एक और लोगों से सुझाव प्राप्त करना दूसरी और नागरिकों का उपयोग रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में करना सम्मिलित है। इसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि जो पुलिसकर्मी जिसमें ज्यादातर पुलिस के कांस्टेबल शामिल है उनको नागरिकों के खिलाफ हिंसा के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाया जाए। विशेषकर आपदाओं के समय कैसे धैर्य एवं संवेदना से कार्य किया जाए इस संबंध में व्यापक प्रशिक्षण और दक्षता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) की जरूरत है। कुछ सिद्धांत सामुदायिक पुलिसिंग के लिए जरूरी है। जैसे की इसमें यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि सामुदायिक पुलिस पद्धति एक दर्शन है जिसे आत्मसात करने की जरूरत है न की कुछ एक पहलों की एक पद्धति मात्र। सामुदायिक पुलिस पद्धति की सफलता नागरिकों में एक ऐसी भावना पैदा करने में निहित है कि उनके इलाके में पुलिस व्यवस्था में उनका योगदान है और वे समुदाय की रक्षा की पहली पंक्ति भी बनाते हैं। सामुदायिक पुलिस पद्धति मात्र एक सार्वजनिक संबंध प्रयास बनकर न रह जाए, बल्कि इसे एक पुलिस और नागरिकों के बीच विचार विमर्श का प्रभावी मंच बनाया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक संपर्क समूहों अथवा नागरिक समितियों के माध्यम से लोगो के साथ विचार विमर्श आयोजित किया जाना चाहिए। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये समूह वस्तुतः प्रतिनिधिक हो। यदि यह पुलिस प्रेरित ना होकर जन प्रेरित हो तो सामुदायिक पुलिस पद्धति का विचार सफल हो जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक भागीदारी किसी भी योजना, नीति को सफल एवं बेहतर क्रियान्वित करती है।

पुलिस का लोकतांत्रिकरण

डेविड एच. बेली ने सामुदायिकता के साथ-साथ पुलिस का लोकतांत्रिकरण कैसे हो उस पर एक चार सूत्रीय फार्मूला सुझाया जो इस प्रकार है। पहला यह कि पुलिस अपने कार्य संचालन में व्यक्तिगत नागरिकों और निजी समूह की सेवा करने को प्राथमिकता दे। इसके अंतर्गत बेली बताते हैं कि पुलिस जनता के सामने सरकार का चेहरा है। पुलिस लोकतंत्र को सबसे बड़ा सहयोग इस प्रकार से कर सकती है कि वह नागरिकों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अनुसंधान बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन कनाडा जापान संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस द्वारा किया गया कार्य मुख्य रूप से नागरिकों द्वारा सेवा की मांग करने पर किया गया, ना की सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के आधार पर। उदाहरण के लिए नागरिक किसी भी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस को टेलीफोन के द्वारा बुलाकर मदद मांग सकते हैं, हालांकि इससे पुलिस के कार्य में बहुत वृद्धि हुई है फिर भी पुलिस के इस कार्य से लोकतांत्रिक एवं नागरिक सरकार के दर्शन को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। यह पुलिस के व्यवहार एवं सोच में बदलाव का प्रतीक है, जो की बहुत कम देखा जाता है। एक पुलिस जिसका प्राथमिक कार्य एक समूह नहीं बल्कि व्यक्तिगत नागरिकों की सेवा करना हो, वह लोकतंत्र को दो तरीकों से मदद करती है। पहला, वह जितना संभव हो सके, अनेक व्यापक हितों के प्रति जवाबदेह बनती है। दूसरा वह सरकार की

वैधानिकता में वृद्धि करती है। अगर पुलिस व्यक्तिगत रूप से नागरिकों की मदद करती है तो प्रतिदिन नागरिकों को यह विश्वास होता है और उनके सामने प्रदर्शित होता है की सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग नागरिकों के हित में करेगी। यह पुलिस की उस परंपरागत भूमिका से अलग भूमिका होगी जिसमें इस प्रकार की पुलिस जवाबदेहीता तथा सेवा उन्मुखता हो। इस प्रकार पुलिस की भूमिका से किसी अन्य सरकारी सामाजिक कार्यक्रम की तुलना में सरकार की वैधानिकता में ज्यादा वृद्धि हो सकती है तथा इसके प्रभाव भी तुरंत महसूस किए जा सकते हैं। बेली दूसरा जो सूत्र देते हैं वह यह है कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए बजाए की सरकारों के। कई पुलिस सुधार आयोग इस बात पर जोर दे चुके हैं कि लोकतांत्रिक पुलिस को हमेशा कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लोकतंत्र में पुलिस को किसी के भी मनचाहे आदेश को नहीं मानना चाहिए। लोकतांत्रिक पुलिस कानून बनाती नहीं है, वह उसे लागू करती है। बेली तीसरा सुझाव यह देते हैं कि पुलिस को मानव अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए और यही लोकतंत्र का सार है। लोकतंत्र की यह जरूरत है कि केवल कानून के प्रति जवाब दे ना हो बल्कि वे विशेष प्रयास करें की वे उन गतिविधियों की सुरक्षा करें जो कि लोकतंत्र के संचालन के लिए जरूरी है। यह गतिविधियां हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता तथा आर्बिट्रेरी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। बेली चौथा सुझाव यह देते हैं की पुलिस की सारी गतिविधियां पारदर्शी होनी चाहिए। उनके अनुसार पुलिस की सारी गतिविधियां अवलोकनीय तथा प्रतिवेदनीय हों। इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यवहार की सूचना तथा संगठन के पूर्ण कार्य संचालन की भी सूचना शामिल है। इसमें विशेष रूप से वे सूचनाएं शामिल हैं जिनमें यह पता लगता हो की पुलिस अपना कार्य लागत कुशल (कॉस्ट एफिशिएंट) तरीके से कर रही है या नहीं। बेली के अनुसार लोकतंत्र का संवर्धन एवं उन्नयन पुलिस अकेले नहीं कर सकती परंतु अगर वह इन ऊपर दिए गए चार तरीकों का पालन करें तो संभव है कि इससे लोकतंत्र के गहरे होने में मदद मिलेगी। ये वे सूत्र हैं जिसके द्वारा पुलिस सुधारों की मदद से लोकतंत्र में वृद्धि की जा सकती है।

सारांशतः यहां इस भ्रम को तोड़ना भी जरूरी है कि सामाजिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन एवं अव्यवस्था के बीच पुलिस है। सामाजिक व्यवस्था के बहुत सारे मानक एवं स्रोत हैं तथा पुलिस उन मानकों के बिगड़ने के लिए जिम्मेदार भी नहीं है परंतु फिर भी पुलिस का काम व्यवस्थाओं के संचालन में सहयोग तो करना है ही। लोकतांत्रिक पुलिस के लिए जरूरी है कि नागरिक पुलिस को सहयोग भय के कारण नहीं बल्कि उनके प्रति सम्मान के कारण करे। लोकतांत्रिक पुलिस एक तटस्थ पुलिस है जो बिना किसी भेदभाव के कार्य करती है। लोकतांत्रिक पुलिस नागरिकों के सम्मान की रक्षा करे, नागरिक अधिकारों की रक्षा करे सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रति जवाबदेह हो ना की किसी नेता या दल के प्रति। यदि पुलिस अपना विश्वास कायम कर पाए और साधन और साध्य की पवित्रता रखे जैसा कि गांधीजी कहते थे तो हमारा मेहनत से अर्जित किया हुआ लोकतंत्र न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि वह गहरा भी होगा, समानता मूलक भी होगा, उसका उन्नयन एवं संवर्धन भी होगा तथा संविधान निर्माताओं के स्वप्न को साकार भी करेगा। ❑